बाढ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र,
ब्लॉक–A, द्वितीय मंजिल, जल संसाधन भवन . अनिसाबाद. पटना

पत्रांक–बा०प्र०सु०स०के० –(MMC)–35 / 2023–479 पटना, दिनांक– 15/04 / 2024

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र / निदेशक, गणितीय प्रतिमान केन्द्र, अनिसाबाद, पटना के सरकारी कार्य के उपयोग हेतु भाड़े की स्कार्पियो गाड़ी (वातानुकूलित) चालक सहित वाहन की आवश्यकता है। इस क्रम में इच्छुक वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्त्ता से उक्त वाहन ड्राईवर के साथ भाड़े पर आपूर्ति करने हेतु कोटेशन निम्न शर्त्तों के साथ आमंत्रित किया जाता हैः–

1. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण–पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
2. वाहन (वाणिज्य निबंधन सहित) दस (10) साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए तथा वाहन अच्छी स्थिति एवं कार्यरत अवस्था में होना चाहिए।
3. चालक के पास वैध ड्राईविंग लाइसेन्स होना चाहिए।
4. वाहन का किराया प्रतिमाह जिला पदाधिकारी, पटना तथा पंचायती राज विभाग, पटना द्वारा निर्धारित एवं कोटेशनदाता द्वारा उद्धृत दर (तीनों दरों) में से न्यूनतम दर स्वीकार्य होगा तथा भुगतान प्रत्येक माह के बाद विपत्र प्रस्तुत करने पर होगा। भाड़ा रूपये प्रतिमाह की दर से फिक्स उद्धृत करना होगा। सशर्त एवं वेरियेबुल उद्धृत भाड़ा अमान्य होगा।
5. क्रमांक–4 में भुगतान के अलावा मात्र इंधन / टॉल टैक्स विभाग के द्वारा दिया जायेगा।
6. वाहन के रख–रखाव, साफ–सफाई वाहन मालिक के द्वारा किया जायेगा तथा हमेशा चालू अवस्था में रखने की वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेदारी होगी। वाहन आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेदारी होगी। वाहन की चोरी या दुर्घटना तथा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्त्ता की होगी।
7. वाहन के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात् जी0एस0टी0 रोड टैक्स / बीमा / प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि का भुगतान वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्त्ता को स्वयं करना होगा। विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. वाहन माह–मार्च, 2025 तक भाड़ा पर रखने के लिए एकरारनामा किया जायेगा तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा किसी निजी कार्य में नहीं किया जायेगा। सेवा संतोषजनक रहने पर एकरारनामा की अवधि अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित करते हुए वाहन की सेवा ली जा सकती है।
9. सेवा असंतोषजनक रहने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर संयुक्त निदेशक, अनिसाबाद, पटना द्वारा बिना कारण बताये अनुबंध रद्द करने का अधिकार होगा।
10. कार्यालय बन्द होंने के उपरान्त वाहन जल संसाधन भवन अनिसाबाद के परिसर में ही रहेगा।
11. कोटेशन के सेवा शर्त्त में परिवर्तन के लिए अधोहस्ताक्षरी स्वतंत्र होगें।
12. सशर्त कोटेशन स्वीकार नही की जाएगी ।
13. वाहन मालिक / एजेन्सी को एक undertaking देना होगा जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि (i) जो भी ड्राईवर गाड़ी से संलग्न रहेगा के पास बैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा (ii) जिस गाड़ी की भी सेवा दी जाएगी, उस पर किसी प्रकार का पुलिस या न्यायालय में कोई मामला लंबित नही हो (iii) एकरारित अवधि में किसी दूसरे फर्म को एकरारित वाहन के विरूद्ध कोई विपत्र नहीं देना होगा और नहीं भुगतान प्राप्त करना होगा ।
14. वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा एक शपथ पत्र देना होगा कि सभी संलग्न कागजात सही है तथा गलत पाये जाने पर विभाग द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

इच्छुक वाहन मालिक/वाहन अपूर्तिकर्त्ता उक्त क्रमांक–1 से 12 तक के शर्त्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत अथवा अपने पत्र पर स्वहस्तलिखित शपथ–पत्र) एवं क्रमांक–1 से 3 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना में बन्द लिफाफे में दिनांक–29/04/2024 के 03:00 बजे अपराह्न तक समर्पित करेंगे, जिसे उसी दिन 03:30 बजें अपराह्न में खोला जायेगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एक से ज्यादा (एकसमान) न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक–29/04/2024 को 05:00 बजे अपराह्न में वैध कोटेशन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूतिकर्त्ता का चयन किया जायेगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता लॉटरी के समय उपस्थित रहेंगे, अन्यथा इनके उपस्थिति के बिना भी लॉटरी किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। कोटेशन के साथ क्रमांक–1 से 3 के कागजात एवं शपथ –पत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जायेगा तथा इन्हें लॉटरी में शामिल नहीं किया जायेगा। अन्य जानकारी कार्यालय से संपर्क कर अथवा कार्यालय के सूचना पट्ट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट http://www.fmiscwrdbihar.gov.in/fmis पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

ASingh 15/04/2024

(अमिता सिंह)
संयुक्त निदेशक
बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र,
अनिसाबाद, पटना ।